¥ 13/472/15/1/25 विषय: - 4 1 मि का 95+19 LUP 16532/15-8, 210, ईन्ट्र क्लिंग एटाम्क सिहास किया र १६६० है र्वहर्म मा प्र-शासनं एवं क्षान्त । में अवडि कि कामिक्रीन नार्या दिनांड 28/12/15 GIZ AC DIESIM OFT OIC मियुव्या निया जाया दिश कारिश क्री ह्लामाप्रति क्रंतावन कर, ज्ञासनगढिरापड OSD का क्लांब्लावी! mut rife निः प्रको उत्तिरकार्ग नगरेश जारी हेत लस्ती स्वरिस विभाग के 36 Pania 51-01 5485/25/TW)

## IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 176556/2015

WP/16532/2015

Or Merit

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of
Judicature
at Jabalpur

FOR ADM.and I.R. Fixed for 16-11-2015 WP-DA-4 Respondent No. 1

To,

The State Of Madhya Pradesh, Through The Principal Secretary Tribal Welfare Deptt Vallabh Bhawan, Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 06-11-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 16532/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Smt. Indu Mishra** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/16532/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **16-11-2015**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court Encl: Copy of Pention

Your faithfully

D.

DEPUTY REGISTRAR

## मध्य प्रदेश

## कमांक / स्था07 / बी / 8879 / 2015 /27 | 65

भोपाल,दिनांक 28/12/15

## <u>नियुक्ति आदेश</u>

याचिका प्रकरण कमांक डब्ल्यू०पी० 16532 / 15 श्रीमती इन्दु मिश्रा, एल.डी.टी. जिला शहडोल विक्रद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य ।

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के आदेश क्रमाक एक 4/196/2001/25/1 दिनाक 01.06.2001 द्वारा प्रत्यारोपित अधिकारों के तहत् सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 (1908 का अधिनयम सख्याक—5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन पदत्त शिवताों को प्रयोग में लाने हुए सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शहडोल (म०प्र०) को (पक्षकारों के नाम ऊपर वर्णित) मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी और से प्रमारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये आयेदन करने और उपस्तात होने के लिये नियुक्त करते हैं । प्रमारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विमाग नियमावली में वर्णित कर्तान्यों तथा उन्तरदायित्वों के अतिरिक्त यह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य वातों के साथ ऐसी रीति में जिनके ब्यारे नीचे दिये गये हैं, मिम्मिलिवत कार्य करेगा :-

प्रभारी अधिकारी प्रकरण के लक्ष्मों के बारे में तुरन्त ऐसी जाय करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याधिका में उठावें गए समस्त वि दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुयं और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि प्रकरण के संवालन में महाधिवाता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विधित उस के विभिन्न की उन्होंने के उन्होंने का संभावना है, स्थार्ट में

विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावेगी ।

2 समस्त सुसमत काइल, वस्तावज, नियम, अधिसूचनाए सथा आवंश एकत्रित करेगा ।

अव पत्र विकास उठाए गए समस्त भिन्दुओं का पैरा अनुसार स्ट्रांतर वत हुए और ऐसी अतिहिन्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिनवषक को सहायका पहुंचाने हैं। शाशाना है एक रिपॉर्ट संयार करेगा ।

उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अमिभाषक स संपर्क करेगा ।

शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार कस्वाएगा ।

प्रभारी अधिकारी निम्नतिखित कागज पत्र भेजेंगे :--

्क) । याद पत्र की एक प्रति के साथ शासन की एक रिपोर्ट । 🛬

(स्रे) " प्रस्तावित निम्न कथेन को एक प्रारूप (

- (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्थलप फाईल करना प्रस्तावित है और जिन्हें प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।
- (घ) प्रकरण के विजुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमे वाद की सुनवाई की तारीख भी धर्मित होनी चाहिये !
- 7. प्रदारण की तैयारी और संवालन करने में शासकीय अधिवक्ता की सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव अवगत रखना ।
- 8. जब मी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतयाः मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया गया, तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगरमी कार्य दिवस में आवेदन करना.
- 9 अपनी रिपोर्ट के साथ निर्णय / आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस दिभाग का भेजेंगे ।
- 10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सबना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- 11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अहं शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाये ।

प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागा अक्ष के माध्यम से शासन को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी

प्रभारों अधिकात, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रद है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलो 14 में जहां किसी बाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आंदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित हैं, समय पर काय गही की गई है। अंतएवं यह इस आदेश की प्रति, जैसे ही यह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यक्ष सं अपनी अनुशसा के साथ र"सन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित जरे। 15

पभारी अधिकारी मामले में उन्हें उन्तरम न्यायालय के सम्भ अर्थान १२० वस प्रस्तुत प्रश्न के विद्यामी आधिकार होगा और उसका यह कल्ब्य होगा कि वह प्रयास करें की उस पर अपीक्ष /रिवीजन प्रस्तुत करने की उन्तुकति

मिल जागे और निर्धारित (निहीत) अवधि में अपील / रिवीजन प्रस्तुत हो जाते ।

पुष्ठांकन / स्था.७ / बी / 8679 / 2015 / 2.७ । 6.6 प्रतिलिपि 🗕

भोपाल दिनांक 28/12/15

महाधिवक्ता **जबलपुर म0प्र**01

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भौपाल मधप्र०।

प्रमुख सविव, मध्यप्रदेश शासन, विशि और विधायी कार्य विनाग, भौपाल म0प०।

कलेक्टर, शहडोल मण्डा० !

ij

सभागीय उपायुक्त / नाइत अ१३० ें (विधि प्रक्रीष्ठ), आदिवस्ती एव अनुसूचित आति विकास, शहडोल / जबलपुर म०५६ ।

राहायक आयुक्त, आदिवा<del>नी विकास शहडोल (१०५०) प्रभाश आवेकाश की ओर</del> अग्रीयेत। साथ ही शासकीय अधिवक्ता — संपर्क करने और उपिट्टिश्ति प्रमाण एक प्रवृति विपोर्ट प्राप्ता करने तथा अपनी ब्रत्येक भेट (विजिट)पर शासकी<del>य द्वे</del>विवयता से आगे की कार्यवाहीं के लिये सलाह करने और प्रकरण में अपनी प्रगति रिपॉट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेंद्र अप्रपित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिय। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप में भेजी जाये। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष विधि एवं नियमों के सः ध्यसंगत पूरी स्थिति रेखें । भामले में रथगन आदेश हो तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर रथगन हटाने का प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित करें । मामले में प्रस्तुत ब्रादौत्तर की प्रति तत्काल शासन एवं इस कार्यासय को उपसब्ध करावे ।

प्रभारी अधिकारी शिक्षा स्थापना शाखा, मुख्यालय मोपाल, म0प्र० की और सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यवाही हेतु।

अपर आयक्त आदिवासी विकास